न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) जैसलमेर
(पीठासीन अधिकारी श्री ओ0पी0 बिश्नोई आर0ए0एस)

मुकदमा संख्या :– 21/2019

प्रार्थी	अप्रार्थी
श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता खादयसुरक्षा अधिकारी, जैसलमेर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर बनाम	1. श्री खेतसिंह राठोड पुत्र भंवरसिंह राठोड उम्र 42 वर्ष जाति राजपूत निवासी ग्राम चांधन, तहसील व जिला जैसलमेर (राज.) 2. मैसर्स श्री भगवती किराना स्टोर, मैन रोड, चांधन, जिला जैसलमेर (राज.) 3. मैसर्स इन्द्रचंद महेश कुमार लोहिया, 74 बृज भवन लाल सागर, जोधपुर।

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 उपधारा (।।) खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011)

उपस्थित :–

1. श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता, खादय सुरक्षा अधिकारी, जैसलमेर।
2. अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से श्री खेतसिंह राठोड।
3. अप्रार्थी संख्या 03 की ओर से श्री इन्द्रचंद लोहिया।

–:: आदेश ::– दिनांकः 29.01.2020

1. प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 उपधारा (।।) के तहत् अप्रार्थीगण के विरूद्ध न्याय निर्णयन हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। यह है की प्रार्थी द्वारा दिनांक 22.10.2018 को 11:00 एएम पर मैसर्स श्री भगवती किराना स्टोर, मैन रोड, चांधन, जिला जैसलमेर (राज.) का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अप्रार्थी मैसर्स श्री भगवती किराना स्टोर, मैन रोड, चांधन, जिला जैसलमेर दुकान/संस्थान पर विक्रेता श्री खेतसिंह राठोड पुत्र भंवरसिंह राठोड उम्र 42 वर्ष जाति राजपूत निवासी ग्राम चांधन, तहसील व जिला जैसलमेर कारोबार कर रहा था, उसने दुकान का विक्रेता होना बताया। उसको अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उसका अपना अनुज्ञापत्र दिखाने को कहा तो उसने खादय अनुज्ञापत्र मौके पर नही होना बताया। प्रार्थी ने मौके पर निरीक्षणार्थ दुकान के अन्दर मिर्च पाउडर लोहिया ब्राण्ड को खादय प्रदार्थ के रूप में विकय कर रहा था। विक्रेता एवं मालिक को कहा एवं मौके पर फार्म संख्या 5ए की प्रति तैयार कर गवाहन व स्वयं के हस्ताक्षर करवाकर फार्म संख्या ए5 की एक प्रति मौके पर मालिक विक्रेता को दी और प्राप्ति रसीद ली जो प्रार्थना पत्र में संलग्न है। तत्पश्चात मिर्च पाउडर लोहिया ब्राण्ड 500–500 ग्राम के चार पॉलीपैक लिये जिसके पेटे 400 रूपये नगद देकर गवाहन, विक्रेता एवं स्वयं के हस्ताक्षर कर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है। प्रार्थी ने खरीद सुदा मिर्च पाउडर लोहिया ब्राण्ड के 500–500 ग्राम की 04 थैली में से चार नमूने लिये पॉलीपैक मौके पर लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना पर चिपकाएं एवं लेबलों पर डीओं कोड एवं कमांक नम्बर एन–890 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर करवाये और लेबलों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डीओ, जैसलमेर की हस्ताक्षर सुदा पेपर स्लीप एन–890 नियमानुसार चारो नमूनों पर नीचे से ऊपर तक गोद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को पेपर स्लीप ऊपर धागे से बाधकर नियमानुसार चार–चार जगह ब्रास सील से मुहर चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जैसलमेर

Scanned by CamScanner

ने खाद पदार्थ का विवरण एन-890 मिर्च पाउडर लोहिया ब्राण्ड लिख कर हस्ताक्षर किये। चारो नमूनो भागो को अपने जाब्ते में लिया एवं मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विकेता एवं गवाहों को मौके पर पढाकर सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जो उन्होने पढकर सुनकर समझकर सही मान कर हस्ताक्षर किये प्रार्थी स्वयं ने मौका फर्द पर हस्ताक्षर किये। प्रार्थी ने कार्यालय पहुचकर फार्म नम्बर 6 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील इम्प्रेशन लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की आउटर कवर में सील बन्द कर सील मुहर कर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को स्वयं के द्वारा दिनांक 23.10.2018 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की, जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मुहर कर खाद्य विश्लेषक जोधपुर को जमा कराकर फार्म संख्या 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियां के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डी.ओ.मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर को मेरे द्वारा दिनांक 22.10.2018 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्रार्थी को डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2019/4564-67 दिनांक 28.03.2018 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला राज.जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या L.S./728/Act/2018/744 दिनांक 30.10. 2018 अनुसार उक्त नमूना मीथ्याछाप पाया गया। खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जॉच रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्रार्थी ने पत्रावली,कागजात पेश करने के बाद श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर ने पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2018/स्वी./एन-890/ के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। यह है कि उक्त केस में विकेता 1. श्री खेतसिंह राठोड पुत्र भंवरसिंह राटोड उम्र 42 वर्ष जाति राजपुत निवासी ग्राम चांधन, तहसील व जिला जैसलमेर (राज.) 2. मैसर्स श्री भगवती किराना स्टोर, मैन रोड, चांधन तहसील व जिला जैसलमेर (राज.) 3. मैसर्स इन्द्रचंद महेश कुमार लोहिया, 74 बृज भवन लाल सागर, जोधपुर (राज.) ने मीथ्याछाप मिर्च पाउडर लोहिया ब्राण्ड का विक्रय करके खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (11) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। प्रार्थी ने निवेदन किया कि अप्रार्थीगण को अधिक से अधिक जुर्माना से दण्डित करने की कृपा करें जिससे दिन प्रतिदिन दैनिक जीवन में हो रही मिलावट पर अंकुश लग सकें।

2. अप्रार्थी संख्या 01 के द्वारा परिवाद के संबंध में दिनांक 20.11.2019 को न्यायालय में स्वयं उपस्थित होकर जबाब पेश कर निवेदन किया कि मिर्च पाउडर लोहिया ब्राण्ड के जॉच हेतु दिये गये थे जो कि मीथ्याछाप पाया गया है। नमूने लेने के कुछ महिने पहले नियमों में परिवर्तन हुआ था, जो कि मेरी थैली पहले की छपी हुयी थी, अन्य लेब इस बाबत मिथ्याछाप नही देते है। लेकिन मेरे द्वारा निर्मित मिर्च पाउडर में किसी प्रकार की मिलावट नही पायी है एवं शुद्व मसाले ही बनाता हूँ। मिथ्याछाप होने एफएसएसएआई नम्बर नहीं होने के कारण उपभोक्ता पर किसी प्रकार प्रभाव एवं हानिकारक नही होता है। अप्रार्थी संख्या 01 के विरूद्व कार्यवाही को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

3. अप्रार्थी संख्या 03 के द्वारा परिवाद के संबंध में दिनांक 20.11.2019 को न्यायालय में स्वयं उपस्थित होकर जबाब पेश कर निवेदन किया कि मिर्च पाउडर लोहिया ब्राण्ड के जॉच हेतु दिये गये थे जो कि मीथ्याछाप पाया गया है। नमूने

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

Scanned by CamScanner

लेने के कुछ महिने पहले नियमों में परिवर्तन हुआ था, जो कि मेरी थैली पहले की छपी हुयी थी, अन्य लेब इस बाबत मिथ्याछाप नही देते है। लेकिन मेरे द्वारा निर्मित मिर्च पाउडर में किसी प्रकार की मिलावट नही पायी है एवं शुद्व मसाले ही बनाता हूँ। मिथ्याछाप होने एफएसएसएआई नम्बर नहीं होने के कारण उपभोक्ता पर किसी प्रकार प्रभाव एवं हानिकारक नही होता है। अप्रार्थी संख्या 03 के विरूद्व कार्यवाही को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

4. प्रार्थी व अप्रार्थीगण की बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जबाब व प्रस्तुत दस्तावेजात एवं बहस के तथ्यों का अवलोकन व अनुशीलन किया गया। विवेचन पश्चात इस निष्कर्स पर पहुंचा हूँ कि खादय सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. L.S./728/Act/2018/744 दिनांक 30.10.2018 के अनुसार मिर्च पाउडर लोहिया ब्राण्ड का उक्त नमूना मीथ्याछाप पाया गया हैं। वही अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जबाब संतोषप्रद प्रतित नही होता है तथा अप्रार्थी अपने जबाब के समर्थन मे कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही कर पा रहा है। जिससे अप्रार्थीगण पर मीथ्याछाप स्तर के मिर्च पाउडर लोहिया ब्राण्ड का विकय करने के लिए दोष साबित है। अप्रार्थीगण द्वारा खाद्यय सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में निर्धारित है । अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है, एवं अप्रार्थी श्री खेतसिंह राठोड जो मैसर्स श्री भगवती किराना स्टोर, मैन रोड, चांधन तहसील व जिला जिला जैसलमेर फर्म के प्रापराईटर एवं अप्रार्थी संख्या 03 श्री इन्द्रचंद लोहिया जो मैसर्स इन्द्रचंद महेश कुमार लोहिया, 74 बृज भवन लाल सागर, जोधपुर फर्म के प्रापराईटर द्वारा मीथ्याछाप स्तर की खाद्य वस्तु मिर्च पाउडर लोहिया ब्राण्ड विकय के कारण इसी अधिनियम की धारा 52 के तहत अप्रार्थी संख्या 01 पर 10,000/- अक्षरे दस हजार रूपये एवं अप्रार्थी संख्या 03 पर 25,000/- अक्षरे पचीस हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि अप्रार्थीगण से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थी संख्या 01 व 03 एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(ओ0पी0बिश्नोई)
न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,जैसलमेर

निर्णय आज दिनांक 29.01.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(ओ0पी0बिश्नोई)
न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,जैसलमेर

Scanned by CamScanner